

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद—अम्बेडकर नगर, बलिया, बस्ती, बुलन्दशहर, चन्दौली, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध
नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कानुपर देहात, कुशीनगर,
मऊ एवं सहारनपुर।

पत्र संख्या—एस0पी0एम0यू0 / CH/NRC / 18-4 / 2015-16 / 7541-18 दिनांक 23/10/2015

विषय—जनपद स्तर पर नवीन “पोषण पुनर्वास केन्द्रों” की स्थापना एवं मानव संसाधन की तैनाती के
सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि बच्चों में कुपोषण एक गंभीर समस्या है तथा एन0एफ0एच0एस0—III के अनुसार 3 वर्ष से कम उम्र के 42 प्रतिशत बच्चों का वजन अपनी उम्र के हिसाब से कम है, और लगभग 7 प्रतिशत बच्चे अति गंभीर रूप से कुपोषित हैं, अर्थात् इनका वजन ऊँचाई के अनुपात में बहुत कम है। कुपोषित बच्चों में मृत्यु की सम्भावना 9 गुना अधिक होती है। अति गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु आपके जनपद में “पोषण पुनर्वास केन्द्र” (Nutrition Rehabilitation Centres) की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कुपोषण के उपचार एवं रोकथाम हेतु भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में चरणबद्ध तरीके से “पोषण पुनर्वास केन्द्रों” (Nutrition Rehabilitation Centres), की स्थापना जिला पुरुष चिकित्सालयों/मेडिकल कॉलेजों में की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 की आर0ओ0पी0 में 18 नवीन जनपदों में “पोषण पुनर्वास केन्द्र” स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पोषण पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन हेतु अनमुक्त की जा रही धनराशि प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को स्थान्तरित करना सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा इन केन्द्रों को 31 दिसम्बर 2015 तक स्थापना कर क्रियाशील किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, पोषण पुनर्वास केन्द्रों हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत हैं—

1- उद्देश्य:-

- 5 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों की उचित देखभाल जिससे कि कुपोषण से होने वाले शिशु एवं बाल मृत्युदर में वांछित कमी लाई जा सके।
- अति कुपोषित बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- बच्चे की खान-पान तथा उचित देखभाल में माताओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता को विकसित करना।
- समुदाय को पोषण सम्बन्धी समस्याओं व समाधान के प्रति जागरूक करना।

2- पोषण पुर्नवास केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली सेवाये:-

1. भर्ती किये गये अति कुपोषित बच्चों की चौबीस घन्टे उचित देखभाल।
2. आवश्यक जांच बीमारी एवं जटिलताओं का मानक प्रोटोकाल के अनुरूप चिकित्सकीय उपचार।
3. उपचारात्मक आहार की व्यवस्था।
4. बच्चे के परिवारजनों को उचित खान-पान, साफ सफाई के विषय पर परामर्श देना।
5. माताओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों से कम लागत की पोषण विधियों पर प्रशिक्षित करना।
6. पोषण पुर्नवास केन्द्र में हर 15 दिन में 2 माह तक 4 बार फॉलोअप करना।

3- पोषण पुर्नवास केन्द्र का स्थान:-

- पोषण पुर्नवास केन्द्र जिला चिकित्सालय (पुरुष) में 10 शैय्याओं के लिये स्थापित किये जायेंगे।
- जिला पुरुष चिकित्सालय में पोषण पुर्नवास केन्द्र में बच्चों की भर्ती हेतु एक अलग वार्ड जिसमें मानक के अनुसार 10 बैड रखने की क्षमता हो। वार्ड के साथ किचन, शौचालय एवं वरान्डा की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना होगा।

4- पोषण पुर्नवास केन्द्र का स्वरूप :-

क- पोषण पुर्नवास केन्द्र के लिये एक अलग वार्ड का चयन किया जाय। पोषण पुर्नवास केन्द्र के 10 शैय्याओं/बैड के वार्ड का क्षेत्रफल लगभग 1950 Sq फिट होना चाहिये (प्रति शैय्या/बैड का क्षेत्रफल 150 Sq फिट)। चयनित वार्ड में प्राकृतिक हवा/प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिये, वार्ड में ही आवंटित बेड के पास चिकित्सक, स्टाफ नर्स, न्यूट्रीशनिस्ट हेतु मेज, कुर्सी रखने की व्यवस्था भी की जानी आवश्यक है। वार्ड में बच्चे व मां के लिये पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो। बच्चों के मनोरंजन एवं मनो सामाजिक विकास के अनुकूल वार्ड बनाने के लिये दीवारों पर आकर्षक पेन्टिंग तथा पोस्टर लगाये जायेंगे। इस हेतु यूनीसेफ द्वारा तकनीकी सलाह दी जायेगी।

ख- चूंकि पोषण पुर्नवास केन्द्र में बच्चे के साथ मां अथवा परिवार के सदस्य का रुकना अनिवार्य है इस लिये उपयोग में लाये जाने वाले बैड का माप वयस्क के अनुरूप हो।

ग- चूंकि इस परियोजना में बच्चे का आहार भी चिकित्सालय में बनाया जाना है अतः रसोई बनाने के लिये वार्ड के साथ अलग से एक कमरा भी उपलब्ध हो। रसोई घर में गैस सिलिन्डर, मिक्सर, कुकर आदि खाना बनाने के बर्तन, पानी रखने के बर्तन, खाद्य सामग्री की तौल व मॉप के उपकरण आदि की व्यवस्था की जाये। फ्रिज भी रसोईघर में रखा जाना होगा इस हेतु स्थान की समुचित व्यवस्था की जाय।

घ- परिवारजनों/माता के ठहरने का स्थान, परिवार के सदस्यों विशेषकर माता के रहने के लिये कक्ष में बेड, गद्दा, रंगीन चादर, मच्छरदानी तथा मौसम की आवश्यकता अनुसार हीटर/कूलर/पंखे व 24 घंटे बिजली की भी व्यवस्था एवं उम्र के अनुसार बच्चों के लिये खिलौनों की व्यवस्था की जानी है।

च- वार्ड के साथ पोषण पुर्नवास केन्द्र के लिये अलग से शौचालय व स्नानघर की व्यवस्था भी की जाय।

5- वित्तीय एवं संसाधन व्यवस्था :-

वर्ष 2015-16 के लिये भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार जिला चिकित्सालयों हेतु 10 शैय्याओं के पोषण पुर्नवास केन्द्र की स्थापना हेतु रु0 2.00 लाख का उपयोग निम्नवत किया जायेगा-

S. N.	Item	Unit	Unit Cost (Rs.)	Total cost (Rs.)
A	Establishment cost			
	Civil work renovation etc.-			
1	Ward	1	25,000	25,000
2	Kitchen	1	20,000	20,000
3	Bathroom and Toilet	1	15,000	15,000
4	Cots and Mattresses	10	2,500	25,000
5	Essential ward equipments	1	50,000	50,000
6	Other ward equipments	1	35,000	35,000
7	Kitchen Equipments	1	30,000	30,000
	Total			2,00,000

- 1) क्रम संख्या- 1, 2, एवं 3 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि वार्ड, किचन, बाथरूम एवं टायलेट की छोटी-मोटी मरम्मत, पार्टीशन, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था को सुदृढ़ एवं क्रियाशीलता के लिये दी जा रही है।
- 2) क्रम संख्या- 4 पर दी गयी धनराशि शैय्याओं की आपूर्ति के लिये है आवश्यकतानुसार इनका क्रय किया जाना चाहिये।
- 3) क्रम संख्या- 5 एवं 6 पर दी गयी धनराशि वार्ड में उपयोग किये जाने वाली सामग्री एवं उपकरणों के लिये दी जा रही है, जो नीचे दी जा रही तालिका 1 एवं 2 पर अंकित हैं इनका नियमानुसार क्रय कर के पोषण पुर्नवास केन्द्र की स्टॉक बुक में अंकित कर लें तथा वाउचरर्स पर सत्यापन योजना का नाम तथा स्टॉकबुक के पृष्ठ का अंकन कर आडिट हेतु सुरक्षित रखें। एन.आर.सी. में साफ सफाई के विशेष ध्यान रखा जाना है इसके लिये कलर कोड के ढक्कनदार बड़े डस्ट-बिन वार्ड में अवश्य हों।
- 4) क्रम संख्या- 7 पर दी गयी धनराशि रसोई में उपयोग आने वाले बर्तन एवं अन्य उपकरणों के लिये है जो नीचे तालिका-3 पर दिया गया है, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार क्रय किया जाय।

तालिका- 1 Essential Ward equipment's to be purchased

S.N.	Items	No.
1	Glucometer with strips	1
2	Thermometers (preferably low-reading)	2
3	Digital Paediatric weighing scales for measuring weight of the child (upto 25 kg with graduation of 5 gm) with TARE option to be kept in Ward	1
4	Infantometer for measuring length of the child	1
5	Stadiometer (to measure standing height)	1
6	Resuscitation equipment's	1
7	Suction equipment (low pressure)	1

तालिका- 2 : Other Ward equipment's to be purchased

S. N.	Items	No.	Remarks
1	IV stands	at least for each Bed	To be purchased from the Budget head of other ward equipment
2	Almirah	1	
3	Shoe rack	2	
4	Dustbin	12	
5	Room heaters	6	
6	LCD TV ; DVD player	1	
7	IEC – Audio/visual materials	1	

S. N.	Items	No.	Remarks
8	Toys for structural play (Safe, Homemade toys can be used as well)		
9	Clock (one for kitchen and one for ward)	2	
10	White board and Pin up notice board	1 each	
11	Calculator	1	
12	Reference height and weight charts and other recknor tables (supply by UNICEF)	1	

तालिका- 3 : Kitchen equipment's to be purchased

S.N.	Items	No.	Remarks
1	Cooking Gas burner with cylinder	1	Items will be purchased under the heads of Kitchen equipment
2	Dietary/weighing machine to weigh the food items	1	
3	Measuring jars/ glass (10 ml, 50 ml, 100ml, 250 ml, 500ml & 1000ml) and Measuring Spoons set	1 set	
4	Electric Mixer	1	
5	Electric Blender	1	
6	Water Filter (RO)	1	
7	Refrigerator	1	
8	Utensils (large containers, cooking utensils, feeding cups, saucers, spoons, jugs etc.)	1 set	

6- वित्त पोषण :-

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाय।

1) One time Establishment cost

भारत सरकार द्वारा FMR- A.2.5 पर पोषण पुर्नवास केन्द्र की स्थापना हेतु रू0 2.00 लाख प्रति जनपद के अनुसार की धनराशि स्वीकृत की गयी है। पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु रू0 2.00 लाख की धनराशि प्रति जनपद के अनुसार जिसे नीचे दी गयी तालिकानुसार जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को 3 माह के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

2) मानव संसाधन

संविदा पर तैनात कर्मियों हेतु FMR Code A.8.1.5.6 पर चिकित्सा अधिकारी के मानदेय हेतु रू0 39600/- प्रति माह की दर से, FMR Code A.8.1.7.5.4 पर न्यूट्रिस्ट हेतु रू0 16500/- प्रति माह की दर से, FMR Code A.8.1.1.2.f पर स्टाफ नर्स हेतु रू0 18150/- प्रति माह की दर से FMR Code A.8.1.11.f पर केयर टेकर के लिये रू0 6400/- प्रति माह की दर से, रसोईया के लिये रू0 7500/- प्रति माह तथा सफाई कर्मी के लिये रू0 6400/- प्रति माह की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसे नीचे दी गयी तालिकानुसार जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को 3 माह के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

3) आशा/आंगनवाडी प्रतिपूर्ति राशि

भारत सरकार द्वारा FMR Code-B1.1.3.2.5 पर SAM बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर संदर्भित करने तथा फालोअप में लाने पर आशा/आंगनवाडी को प्रतिपूर्ति राशि अनुमोदित की गयी है। जिसके अनुसार पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर SAM बच्चों को संदर्भित करने हेतु रू0 100/- प्रति बच्चे के अनुसार आशा/आंगनवाडी को दिया जाना है। तथा समस्त फालोअप हेतु कुल रू0 50/- प्रति बच्चे प्रदान किया जाना है। इस प्रकार कुल रू0 150/- प्रति बच्चे (संदर्भन एवं फालोअप) हेतु प्रतिपूर्ति राशि प्रदान किया जाना है। पोषण पुनर्वास केन्द्रों की इकाईयों हेतु प्रतिमाह अधिकतम 20 बच्चों के अनुसार संलग्न तालिकानुसार जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

District wise Funds for 18- New Nutritional Rehabilitation Center (NRC) 2015-16																			Total Funds proposed to DHS (Amount in Rs)				
Sl. No.	Name of Districts	One time time Establis hment cost	Medical officer		Nutritionist/ FD		Staff Nurse		Cook		Caretaker		Cleaner										
			No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount							
A.2.5	FMR Code	A.8.1.5.6	A.8.1.7.5.4		A.8.1.1.2.f		A.8.1.1.1.f		A.8.1.1.1.f		A.8.1.1.1.f		A.8.1.1.1.f		A.8.1.1.1.f		16						
			No. for 3 mths	@ Rs.39,600/- p.m.	No. for 3 mths	@ Rs.16,500/- p.m.	No. for 3 mths	@ Rs.18150/- p.m.	No. for 3 mths	@ Rs.7500/- p.m.	No. for 3 mths	@ Rs.6400/- p.m.	No. for 6 mths (Apr 15-Sept 15)	Honorarium @ Rs. 6400/- p.m.									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
			1	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	19200	647000							
			2	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	19200	647000							
			3	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	19200	647000							
			4	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	19200	647000							
			5	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	19200	647000							
			6	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	19200	647000							
			7	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	19200	647000							
			8	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	19200	647000							
			9	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	19200	647000							
			10	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	19200	647000							
			11	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	19200	647000							
			12	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	19200	647000							
			13	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	19200	647000							
			14	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	19200	647000							
			15	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	19200	647000							
16	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	19200	647000										
17	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	19200	647000										
18	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	19200	647000										
Total			18	2138400	18	891000	72	3920400	18	405000	18	345600	18	345600	345600	11646000							
Total (Rs. In Lacs)			36.00	21.38		8.91	39.20		4.05	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46	116.46							

7- मानव संसाधन एवं दायित्व :-

कार्यक्रम संचालन हेतु पुर्नवास केन्द्र पर निम्न स्टाफ की आवश्यकता होगी ।

■ चिकित्सा अधिकारी	-1	(संविदा पर)
■ न्यूट्रीशनिस्ट काउन्सलर	-1	(संविदा पर)
■ स्टाफ नर्स	-4	(संविदा पर)
■ रसोईया	-1	(संविदा पर)
■ केयर टेकर	-1	(संविदा पर)
■ सफाई कर्मी	-1	(आउट सोर्सिंग के माध्यम से)

8- चिकित्सा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :-

चिकित्सा अधिकारी द्वारा गम्भीर कुपोषित बच्चों का निदान एवं उपचार करना, दवा के बारे में स्टाफ नर्स, न्यूट्रीशनिस्ट व परिवार के सदस्यों को बताना। जॉच के उपरान्त लक्षणों के अनुसार न्यूट्रीशनिस्ट को आहार की मात्रा तय करने तथा सभी कर्मियों का आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करना। जिला पुरुष चिकित्सालय/विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 के नोडल अधिकारी-एन0आर0सी0/अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ समन्वय रखना। भर्ती बच्चों को सायंकालीन राउन्ड कर उनकी समुचित देखभाल करना, स्टाफनर्स को आवश्यक निर्देश देना, दवाइयों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, सैमचार्ट एवं एन0आर0सी0 रजिस्टर का नियमित अवलोकन करना माह के अन्त में प्रारूप पर मासिक रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी/महानिदेशक परिवार कल्याण एवं एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित करना। प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की आयोजित मासिक बैठक में पोषण पुनर्वास केन्द्र पर उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के विषय में जानकारी देना, गम्भीर कुपोषित बच्चों के सन्दर्भन को बढ़ावा देने हेतु संलग्न-1 सामुदायिक स्तरीय संदर्भन कार्यप्रणाली का उपयोग किया जाय।

- भर्ती किये जाने वाले बच्चों के बारे में ब्लॉक स्तर पर आयोजित आशाओं तथा आंगनवाड़ी की बैठक में आशाओं को प्रशिक्षित करना तथा दिये जाने वाले इन्सेन्टिव की जानकारी देना। वाहन की व्यवस्था संयुक्त रूप से अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा डी0सी0पी0एम0 के साथ समन्वय कर भ्रमण की व्यवस्था की जा सकती है। उक्त के साथ एन0आर0सी0 में तैनात संविदा कर्मियों के दायित्व का पर्यवेक्षण करना तथा प्रशिक्षण देना।

9- न्यूट्रीशनिस्ट के कार्य एवं दायित्व :-

प्रत्येक बच्चे के वज़न और स्थिति के अनुसार प्रतिदिन आहार तय करना। रसोइया को आहार तैयार करने हेतु किस वस्तु को कितनी मात्रा में कब मिलाना है और कितना मिलाना है के विषय में निर्देशित करना होगा न्यूट्रीशनिस्ट को प्रातः 9:00 बजे से 5:00 बजे तक बच्चों की देखभाल करनी होगी।

- माताओं को पोषण पुर्नवास केन्द्र एवं घर पर पोषण आहार, बच्चे की देखभाल, स्वास्थ्य एवं साफ सफाई करने संबंधित विषयों पर प्रतिदिन परामर्श सत्र आयोजित कर सलाह देना।
- स्टाफ नर्स, रसोइया एवं केयर टेकर के साथ मिलकर सुनिश्चित करना कि वार्ड में भर्ती बच्चों को सभी आहार, सूक्ष्म पोषक तत्व, दवाइयों एवं टीकाकरण की सुविधा प्राप्त हो सके।
- पोषण पुर्नवास केन्द्र के रख रखाव एवं खाना बनाने के लिए आवश्यक समस्त सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- न्यूट्रीशनिस्ट को सूक्ष्म पोषक तत्वों की मानकानुसार जानकारी होना चाहिये।
- चिकित्सक को प्रत्येक बच्चे की स्थिति जैसे वज़न में हुई बढ़ोतरी, कमी, लिया गया आहार एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराना।
- हर दिन नियत समय पर (सुबह 10.00 बजे) प्रत्येक बच्चे का वज़न लेकर माँ को बतलाना, उसे परामर्श देना एवं सैम चार्ट में अंकित करना। पोषण पुर्नवास केन्द्र से संबंधित समस्त सामग्री का लेखा जोखा स्टाफ नर्स के साथ मिलकर रखना। बच्चे का, सैम चार्ट, एन0आर0सी0 रजिस्टर, डिस्चार्ज टिकिट, फोटो एल्बम का रख-रखाव एवं मासिक भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना।

- वेब-बेस्ड एन0आर0सी0 एम0आई0एस0 डेटाइन्ट्री एवं रिपोर्टिंग का कार्य भी आपके द्वारा किया जायेगा।
- स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की आयोजित बैठक में भाग लेकर पोषण पुनर्वास केन्द्र पर दी जा रही सेवाओं के बारे में प्रचार-प्रसार करना आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देना तथा कुपोषित बच्चों के सन्दर्भन के लिये प्रेरित करना।
- बच्चों की भर्ती की संख्या, दिन, दिनांक का ग्रामवार एवं आशावार/आंगनवाड़ी के अनुसार ब्यौरा रखा जाये तथा इसे DPO/CDPO को प्रभावी फॉलो-अप के लिए प्रत्येक माह अवगत कराया जाये।
- सप्ताह में 2 बार समय निकाल कर प्रसव पूर्व/प्रसव उपरान्त महिला वार्ड में स्तनपान को बढ़ावा देने के विषय में माताओं को जानकारी देना, उससे होने वाले लाभ एवं कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना। कितने महिलाओं को इसकी जानकारी दी गयी है की तिथिवार पूर्ण जानकारी अपनी डायरी में अंकित करें।

10- स्टाफ नर्स के कार्य एवं दायित्व :-

- केन्द्र में भर्ती गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना। स्टाफ नर्स की डियूटी रोटेशन के अनुसार 8-8 घंटे की होगी।
- चिकित्सक के अनुसार हर बच्चे को दवाइयां देना एवं इंजेक्शन लगाना। चिकित्सक के द्वारा लिखे गए इलाज की हर खुराक की निगरानी करना एवं सैम चार्ट में अंकित करना।
- सुनिश्चित करना कि हर बच्चे को छूटे हुए टीकाकरण का लाभ मिल सके। (हर बच्चे का सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना)
- पोषण पुनर्वास केन्द्र में उपलब्ध दवाओं की उपलब्धता, उपयोग एवं खरीद सम्बन्धी सूची बनाना।
- बच्चे का सैम चार्ट, एन0आर0सी0 रजिस्टर, डिस्चार्ज टिकिट, फोटो एल्बम का रख-रखाव की स्टाफनर्स व न्यूट्रीशनिस्ट दोनों की जिम्मेदारी होगी।
- स्टाफ नर्स को मानकानुसार दवायों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी होना आवश्यक है एवं बच्चों को मानक के अनुसार दवायें देने के बारे में सैम चार्ट में अंकित किया जाये।
- चिकित्सक तथा न्यूट्रीशनिस्ट से परस्पर तालमेल रखकर बच्चे की देखभाल तथा आवश्यकता के अनुसार बच्चे को दवा देना, बच्चे की साफ-सफाई रखना, बिस्तर साफ रखना, वज़न लेना, यदि अन्य कोई संक्रमण या बीमारी है तो चिकित्सक से परामर्श कर दवा देना आदि स्टाफ नर्स की जिम्मेदारी है। कितने बच्चे भर्ती किये गये कितने डिस्चार्ज किये गये का रखरखाव भी स्टाफ नर्स की ही जिम्मेदारी है मां को बच्चे की देखभाल के बारे में बताना। चिकित्सक की अनुपस्थिति में बच्चे की देखभाल कर उसका हाल चिकित्सक को बताना जिससे सही इलाज हो सके।
- न्यूट्रीशनिस्ट की डियूटी समाप्त होने के उपरान्त डियूटी पर उपस्थिति स्टाफ नर्स द्वारा बच्चों को चिकित्सक/न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा निर्धारित की गयी डाईट के अनुरूप आहार तैयार कर, बच्चे को दिया जायेगा।
- डियूटी स्टॉफ नर्स, रसोईया की डियूटी के पश्चात चिकित्सक/न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा निर्धारित की गयी डाईट के अनुरूप आहार रसोईया से समन्वय कर बच्चे को प्रदान करेगी।
- भर्ती बच्चे के माता पिता को संतुलित आहार एवं पौष्टिक आहार के बारे में शिक्षित करना तथा बच्चों में कुपोषण से बचाव के बारे में समझाना।
- समय निकाल कर प्रसव पूर्व/प्रसव उपरान्त महिला वार्ड में स्तनपान को बढ़ावा देने के विषय में माताओं को जानकारी देना, उससे होने वाले लाभ एवं कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना। कितने महिलाओं को इसकी जानकारी दी गयी है की तिथिवार पूर्ण जानकारी अपनी डायरी में अंकित करें।
- आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देना तथा कुपोषित बच्चों के सन्दर्भन के लिये प्रेरित करना।

11- रसोइया के कार्य एवं दायित्व :-

- न्यूट्रीशनिस्ट के निर्देशानुसार भोजन बनाना, केयर टेकर से सम्पर्क स्थापित कर समय से भोजन तैयार करना।
- रसोई की साफ सफाई सुनिश्चित करना। खाना पकाने एवं रसोई में भंडारण के लिए उपयोग किये जाने वाले बर्तनों को साफ करना।
- सुनिश्चित करना कि भोजन साफ सफाई से तैयार हो एवं बच्चे के लिए सुरक्षित भी हो। यह भी सुनिश्चित करना कि वार्ड में बच्चे को कोई भी अन्य खाद्य सामग्री न दी जाये।
- बच्चों की मांताओं को पोषक आहार बनाने की विधि प्रदर्शित करें ताकि छुट्टी के उपरान्त मांतायें अपने घर में भी बच्चे को पोषित आहार दे सकें।
- रसोइया अपनी ड्यूटी के पश्चात बच्चों को दिये जाने वाले आहार की व्यवस्था के बारे में ड्यूटी स्टॉफ नर्स को सूचित करेगा।

12- केयर टेकर के कार्य एवं दायित्व :-

- वार्ड, स्नान गृह, रसोई एवं भोजन करने के स्थान की साफ सफाई सुनिश्चित करना। प्रत्येक बच्चे, उसके माता-पिता एवं अभिभावक की व्यक्तिगत साफ-सफाई सुनिश्चित करना।
- रसोइया को सभी बच्चों को आहार/भोजन वितरण करने में मदद करना।
- सुनिश्चित करना कि प्रत्येक मां अपने बच्चे को सभी भोजन खिलाएं एवं इसकी जानकारी आहार तालिका में नियमित रूप से दर्ज हो जाए।
- प्रत्येक बच्चे का मनो-सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उन्हें खेलकूद में व्यस्त करना, उनसे बातचीत करना एवं उनकी माताओं को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- आवश्यकता अनुसार बच्चों को भोजन देने एवं उनके आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु माताओं को जानकारी देना।

13- सफाई कर्मी के कार्य एवं दायित्व :-

- एन0आर0सी0 वार्ड की रसोई, बच्चों के प्ले एरिया एवं शौचालय की नियमित साफ सफाई करेंगे। सफाई कर्मी को सफाई की उपयोगिता के महत्व की जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाय। कूड़े का निस्तारण करने हेतु मानकों के अनुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- सफाई कर्मी को वार्ड के मानकों के अनुसार कूड़ा निस्तारण के बारे में प्रशिक्षित किया जाय प्रशिक्षित कर्मी वार्ड में भर्ती मरीजों के माता पिता को सफाई एवं संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी देना एवं जागरूक करना।

14- पोषण पुर्नवास केन्द्र के कर्मियों के मानदेय राशि एवं शैक्षिक योग्यता :-

- 1) चिकित्साधिकारी :- पोषण पुर्नवास केन्द्र पर एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक को संविदा पर तैनात किया जायेगा जिनका मानदेय रू0 39600/-प्रति माह की दर से मानदेय देय होगा।
- 2) स्टाफ नर्स :- मेडीकल काउन्सिल में पंजीकृत स्टाफनर्स को संविदा पर तैनात किया जायेगा। प्रति इकाई पर 4 स्टाफ नर्स संविदा पर होगी जिनका मानदेय प्रति स्टाफनर्स हेतु रू0 18150/- प्रतिमाह की दर से देय होगा।
- 3) न्यूट्रीशनिस्ट :- इस कार्य हेतु होम साइंस में स्नातक तथा पोषण में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। कम से कम दो साल के अनुभव वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। इन्हें प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए तथा बाद में परियोजना की आवश्यकतानुसार नियत मानदेय पर रू0 16500/- प्रतिमाह की दर से मानदेय राशि देय होगी।
- 4) केयर टेकर :- कम से कम कक्षा 8 पास हो। इस कार्य हेतु महिला/पुरुष जिसे बच्चों की देखभाल तथा पोषण से सम्बन्धित जानकारी है, को रखा जाये। केयर टेकर हेतु रू0 6400/-प्रतिमाह की दर से मानदेय राशि देय होगा।
- 5) रसोइया :- कम से कम कक्षा 8 पास हो। वार्ड में खाना बनाने का अनुभव कम से कम एक वर्ष का हो। उचित होगा कि रिटायर्ड रसोइया जो वार्ड में खाना बनाते हो को रखा जाये। इन्हे रू0 7500/- प्रतिमाह की दर से मानदेय राशि देय होगी।

- 6) सफाई कर्मचारी :- सफाई कर्मी की तैनाती आउट सोर्सिंग (सेवा प्रदाता एजेन्सी) के माध्यम से कराये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है) रू0 6400/- प्रतिमाह की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है।

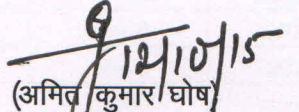
चयन की प्रक्रिया पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार की जाये। संविदा कर्मियों हेतु विज्ञापन प्रादेशिक दैनिक 2 हिन्दी समाचार पत्र एवं 1 अंग्रेजी समाचार में अवश्य दिया जाय। चयन समिति द्वारा संविदा पर चयनित अभ्यर्थियों के तैनाती के आदेश, जनपद में पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना के उपरान्त ही निर्गत किये जायें इसका उल्लेख विज्ञापन प्रकाशित करने में किया जाये।

15- कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

मुख्य चिकित्सा अधिकारी पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु धनराशि प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला पुरुष चिकित्सालय को स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें। मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी पोषण पुनर्वास केन्द्र 31 दिसम्बर 2015 तक कराना सुनिश्चित करे।

जनपदों को पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की जानकारी के लिये एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट-upnrhm.gov.in पर प्रदेश में क्रियाशील पोषण पुनर्वास केन्द्र के वार्ड, किचिन, टायलेट आदि के फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जा रहे हैं। कृपया उन्हें देखने का कष्ट करे। किसी भी प्रकार की जानकारी/कठिनाई के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक
दिनांक .2015

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18-4/2015-16/

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशा निर्देश भेजने तथा एन0आर0सी0 की क्रियाशीलता का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
3. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, तृतीय तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, तृतीय तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति।
7. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
8. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ
9. सम्बन्धित, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष चिकित्सालय, को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
10. सम्बन्धित, मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0आर0एच0एम0। को इस निर्देश के साथ कि वे जिला परियोजना अधिकारी एवं जनपद के उल्लेखित पृष्ठांकित अधिकारियों को एक प्रति उपलब्ध करा दें।
11. न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, बी-3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

Incentive for Referral & Follow up of discharge SAM Children from NRCs									
S.N.	Name of district	Name of Unit	no. of NRC	Funds for No. of months	Cases per month/ NRC	No of Cases per year/ per NRC	Unit Cost per Child (100+50)	Funds approved in RoP 2015-16 under FMR code B1.1.3.2.5 Col. (6*7=8)	Total funds to be transferred to districts under
1	2		3	4	5	6	7	8	9
<i>FMR code B1.1.3.2.5</i>									
1	Jhansi	Jhansi	1	12	20	240	150	36000	36000
2	Gorakhpur	Gorakhpur	1	12	20	240	150	36000	36000
3	Aligarh	Aligarh	1	12	20	240	150	36000	36000
4	Kanpur Nagar	Kanpur Nagar	1	12	20	240	150	36000	36000
5	Allahabad	Allahabad	1	12	20	240	150	36000	36000
6	Pilibhit	Pilibhit	1	12	20	240	150	36000	36000
7	Shahjahanpur	Shahjahanpur	1	12	20	240	150	36000	36000
8	Hardoi	Hardoi	1	12	20	240	150	36000	36000
9	Raebareli	Raebareli	1	12	20	240	150	36000	36000
10	Unnao	Unnao	1	12	20	240	150	36000	36000
11	Maharajganj	Maharajganj	1	12	20	240	150	36000	36000
12	Farrukhabad	Farrukhabad	1	12	20	240	150	36000	36000
13	Kannauj	Kannauj	1	12	20	240	150	36000	36000
14	Banda	Banda	1	12	20	240	150	36000	36000
15	ChitraKoot	ChitraKoot	1	12	20	240	150	36000	36000
16	Pratapgarh	Pratapgarh	1	12	20	240	150	36000	36000
17	Sonbhadra	Sonbhadra	1	12	20	240	150	36000	36000
18	Lalitpur	Lalitpur	1	12	20	240	150	36000	36000
		Birdha	1	12	12	144	150	21600	21600
		Madawara	1	12	12	144	150	21600	21600
		Talbehat	1	12	12	144	150	21600	21600
		Mehrauni	1	12	12	144	150	21600	21600
		Bar	1	12	12	144	150	21600	21600
		Jakohra	1	12	12	144	150	21600	21600
19	Kheri	Kheri	1	12	20	240	150	36000	36000
20	Gonda	Gonda	1	12	20	240	150	36000	36000
21	Shrawasti	Shrawasti	1	12	20	240	150	36000	36000
22	Faizabad	Faizabad	1	12	20	240	150	36000	36000
23	Varanasi	Varanasi	1	12	20	240	150	36000	36000
24	Siddharth Nagar	Siddharth Nagar	1	12	20	240	150	36000	36000
25	Bagpat	Bagpat	1	12	20	240	150	36000	36000
26	Kasganj	Kasganj	1	12	20	240	150	36000	36000
27	Bahraich	Bahraich	1	12	20	240	150	36000	36000
28	Balrampur	Balrampur	1	12	20	240	150	36000	36000
29	Barabanki	Barabanki	1	12	20	240	150	36000	36000
30	Bareilly	Bareilly	1	12	20	240	150	36000	36000

De

S.N.	Name of district	Name of Unit	no. of NRC	Funds for No. of months	Cases per month/ NRC	No of Cases per year/ per NRC	Unit Cost per Child (100+50)	Funds approved in RoP 2015-16 under FMR code B1.1.3.2.5 Col. (6*7=8)	Total funds to be transferred to districts under
1	2		3	4	5	6	7	8	9
FMR code B1.1.3.2.5									
31	Badaun	Badaun	1	12	20	240	150	36000	36000
32	Etah	Etah	1	12	20	240	150	36000	36000
33	Kaushambi	Kaushambi	1	12	20	240	150	36000	36000
34	Mirzapur	Mirzapur	1	12	20	240	150	36000	36000
35	Rampur	Rampur	1	12	20	240	150	36000	36000
36	Bijnor	Bijnor	1	12	20	240	150	36000	36000
37	Sant Kabir Nagar	Sant Kabir Nagar	1	12	20	240	150	36000	36000
38	Sitapur	Sitapur	1	12	20	240	150	36000	36000
39	Agra	Agra	1	12	20	240	150	36000	36000
40	Azamgarh	Azamgarh	1	12	20	240	150	36000	36000
41	Etawah	Etawah	1	12	20	240	150	36000	36000
42	Deoria	Deoria	1	12	20	240	150	36000	36000
43	J.P Nagar	J.P Nagar	1	9	20	180	150	27000	27000
44	Meerut	Meerut	1	9	20	180	150	27000	27000
45	Moradabad	Moradabad	1	9	20	180	150	27000	27000
46	Lucknow	Lucknow	1	9	20	180	150	27000	27000
47	Mahoba	Mahoba	1	9	20	180	150	27000	27000
48	Mainpuri	Mainpuri	1	9	20	180	150	27000	27000
49	Mathura	Mathura	1	9	20	180	150	27000	27000
50	Muzzafarnagar	Muzzafarnagar	1	9	20	180	150	27000	27000
51	Sultanpur	Sultanpur	1	9	20	180	150	27000	27000
52	Bhadohi	Bhadohi	1	9	20	180	150	27000	27000
53	Ambedkarnagar	Ambedkarnagar	1	6	20	120	150	18000	18000
54	Balia	Balia	1	6	20	120	150	18000	18000
55	Basti	Basti	1	6	20	120	150	18000	18000
56	Bulandshahar	Bulandshahar	1	6	20	120	150	18000	18000
57	Chandauli	Chandauli	1	6	20	120	150	18000	18000
58	Fatehpur	Fatehpur	1	6	20	120	150	18000	18000
59	Ferozabad	Ferozabad	1	6	20	120	150	18000	18000
60	G. B.Nagar	G. B.Nagar	1	6	20	120	150	18000	18000
61	Ghaziabad	Ghaziabad	1	6	20	120	150	18000	18000
62	Ghazipur	Ghazipur	1	6	20	120	150	18000	18000
63	Hamirpur	Hamirpur	1	6	20	120	150	18000	18000
64	Hathras	Hathras	1	6	20	120	150	18000	18000
65	Jalaun	Jalaun	1	6	20	120	150	18000	18000
66	Jaunpur	Jaunpur	1	6	20	120	150	18000	18000
67	Kanpur Dehat	Kanpur Dehat	1	6	20	120	150	18000	18000
68	Kushinagar	Kushinagar	1	6	20	120	150	18000	18000
69	Mau	Mau	1	6	20	120	150	18000	18000
70	Saharanpur	Saharanpur	1	6	20	120	150	18000	18000
Total			76					2235600	2235600

As

क्र०सं०	पोषण पुनर्वास केन्द्र पर दी जाने वाली सुविधायें।
1	पोषण पुनर्वास केन्द्र पर भर्ती योग्य बच्चे को निशुल्क भर्ती किया जाता है।
2	बच्चे के खाने की व्यवस्था चिकित्सक की सलाह के अनुसार दी जाती है जो निशुल्क है।
3	बच्चे को दी जाने वाली आवश्यक दवायें निशुल्क हैं।
4	भर्ती के दौरान बच्चे की माँ को रू० 100 प्रति दिन के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाता है।
5	आशा/ऑगनवाड़ी यदि भर्ती होने योग्य बच्चे को साथ लाती है तो आशा/ऑगनवाड़ी को रू० 100 प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है। आशा/—ऑगनवाड़ी द्वारा डिस्चार्ज के पश्चात बच्चे के 4 फालोअप कराने पर अतिरिक्त रू० 50/— प्रति बच्चा दिया जायेगा।
6	बच्चे को चिकित्सक की सलाह के अनुसार फोलोअप के लिये बताये गये समय पर कम से कम 3 बार दिखाना चाहिये।
7	बच्चे को फोलोअप के लिये लाने पर माँ को एक दिन का दैनिक भत्ता रू० 100 एवं प्रति बच्चे को खाने के लिए अतिरिक्त रू 40/— प्रति बच्चे दिया जायेगा।
8	चिकित्सक की सलाह के बिना बच्चे को घर ले जाने पर कोई धनराशि देय नहीं है।
9	किसी शिकायत के लिये चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से सम्पर्क करें अथवा टोल फ्री नम्बर 1800 180 1900 पर अपनी शिकायत दर्ज करायें।

नोट— ऊपर दी गयी तालिका को जन समुदाय की जानकारी व पारदर्शिता के लिये 2 फीट चौड़े व 3 फीट लम्बे फ्लैक्स बैनर बनवाकर 1 पोषण पुनर्वास केन्द्र के बाहर तथा 1 केन्द्र के अन्दर लगवाना सुनिश्चित किया जाय अथवा वाल पेन्टिंग करायी जाय।

AN

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-अम्बेडकर नगर, बलिया, बस्ती, बुलन्दशहर, चन्दौली, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध
नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कानुपर देहात, कुशीनगर,
मऊ एवं सहारनपुर।

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0 / CH/NRC / 18-4 / 2015-16 /

दिनांक 23 / 10 / 2015

विषय-जनपद स्तर पर नवीन "पोषण पुनर्वास केन्द्रों" की स्थापना एवं मानव संसाधन की तैनाती के
सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि बच्चों में कुपोषण एक गंभीर समस्या है तथा एन0एफ0एच0एस0-111 के अनुसार 3 वर्ष से कम उम्र के 42 प्रतिशत बच्चों का वजन अपनी उम्र के हिसाब से कम है, और लगभग 7 प्रतिशत बच्चे अति गंभीर रूप से कुपोषित हैं, अर्थात् इनका वजन ऊँचाई के अनुपात में बहुत कम है। कुपोषित बच्चों में मृत्यु की सम्भावना 9 गुना अधिक होती है। अति गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु आपके जनपद में "पोषण पुनर्वास केन्द्र" (Nutrition Rehabilitation Centres) की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कुपोषण के उपचार एवं रोकथाम हेतु भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में चरणबद्ध तरीके से "पोषण पुनर्वास केन्द्रों" (Nutrition Rehabilitation Centres), की स्थापना जिला पुरुष चिकित्सालयों/मेडिकल कॉलेजों में की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 की आर0ओ0पी0 में 18 नवीन जनपदों में "पोषण पुनर्वास केन्द्र" स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पोषण पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन हेतु अनुमति की जा रही धनराशि प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को स्थान्तरित करना सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा इन केन्द्रों को 31 दिसम्बर 2015 तक स्थापना कर क्रियाशील किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, पोषण पुनर्वास केन्द्रों हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत हैं-

1- उद्देश्य:-

- 5 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों की उचित देखभाल जिससे कि कुपोषण से होने वाले शिशु एवं बाल मृत्युदर में वांछित कमी लाई जा सके।
- अति कुपोषित बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना।
- बच्चे की खान-पान तथा उचित देखभाल में माताओं के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता को विकसित करना।
- समुदाय को पोषण सम्बन्धी समस्याओं व समाधान के प्रति जागरूक करना।

2- पोषण पुर्नवास केन्द्र पर प्रदान की जाने वाली सेवाये:-

1. भर्ती किये गये अति कुपोषित बच्चों की चौबीस घन्टे उचित देखभाल।
2. आवश्यक जांच बीमारी एवं जटिलताओं का मानक प्रोटोकाल के अनुरूप चिकित्सकीय उपचार।
3. उपचारात्मक आहार की व्यवस्था।
4. बच्चे के परिवारजनों को उचित खान-पान, साफ सफाई के विषय पर परामर्श देना।
5. माताओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों से कम लागत की पोषण विधियों पर प्रशिक्षित करना।
6. पोषण पुर्नवास केन्द्र में हर 15 दिन में 2 माह तक 4 बार फॉलोअप करना।

3- पोषण पुर्नवास केन्द्र का स्थान:-

- पोषण पुर्नवास केन्द्र जिला चिकित्सालय (पुरुष) में 10 शैय्याओं के लिये स्थापित किये जायेंगे।
- जिला पुरुष चिकित्सालय में पोषण पुर्नवास केन्द्र में बच्चों की भर्ती हेतु एक अलग वार्ड जिसमें मानक के अनुसार 10 बैड रखने की क्षमता हो। वार्ड के साथ किचन, शौचालय एवं वरान्डा की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना होगा।

4- पोषण पुर्नवास केन्द्र का स्वरूप :-

क- पोषण पुर्नवास केन्द्र के लिये एक अलग वार्ड का चयन किया जाय। पोषण पुर्नवास केन्द्र के 10 शैय्याओं/बैड के वार्ड का क्षेत्रफल लगभग 1950 Sq फिट होना चाहिये (प्रति शैय्या/बैड का क्षेत्रफल 150 Sq फिट)। चयनित वार्ड में प्राकृतिक हवा/प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिये, वार्ड में ही आवंटित बेड के पास चिकित्सक, स्टाफ नर्स, न्यूट्रीशनिस्ट हेतु मेज, कुर्सी रखने की व्यवस्था भी की जानी आवश्यक है। वार्ड में बच्चे व मां के लिये पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो। बच्चों के मनोरंजन एवं मनो सामाजिक विकास के अनुकूल वार्ड बनाने के लिये दीवारों पर आकर्षक पेन्टिंग तथा पोस्टर लगाये जायेगे। इस हेतु यूनीसेफ द्वारा तकनीकी सलाह दी जायेगी।

ख- चूँकि पोषण पुर्नवास केन्द्र में बच्चे के साथ मां अथवा परिवार के सदस्य का रुकना अनिवार्य है इस लिये उपयोग में लाये जाने वाले बैड का माप वयस्क के अनुरूप हो।

ग- चूँकि इस परियोजना मे बच्चे का आहार भी चिकित्सालय में बनाया जाना है अतः रसोई बनाने के लिये वार्ड के साथ अलग से एक कमरा भी उपलब्ध हो। रसोई घर मे गैस सिलैन्डर, मिक्सर, कुकर आदि खाना बनाने के बर्तन, पानी रखने के बर्तन, खाद्य सामग्री की तौल व माप के उपकरण आदि की व्यवस्था की जाये। फ्रिज भी रसोईघर मे रखा जाना होगा इस हेतु स्थान की समुचित व्यवस्था की जाय।

घ- परिवारजनों/माता के ठहरने का स्थान, परिवार के सदस्यों विशेषकर माता के रहने के लिये कक्ष में बेड, गद्दा, रंगीन चादर, मच्छरदानी तथा मौसम की आवश्यकता अनुसार हीटर/कूलर/पंखे व 24 घंटे बिजली की भी व्यवस्था एवं उम्र के अनुसार बच्चों के लिये खिलौनों की व्यवस्था की जानी है।

च- वार्ड के साथ पोषण पुर्नवास केन्द्र के लिये अलग से शौचालय व स्नानघर की व्यवस्था भी की जाय।

5- वित्तीय एवं संसाधन व्यवस्था :-

वर्ष 2015-16 के लिये भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार जिला चिकित्सालयों हेतु 10 शैय्याओं के पोषण पुर्नवास केन्द्र की स्थापना हेतु रू0 2.00 लाख का उपयोग निम्नवत किया जायेगा-

S. N.	Item	Unit	Unit Cost (Rs.)	Total cost (Rs.)
A	Establishment cost			
	Civil work renovation etc.-			
1	Ward	1	25,000	25,000
2	Kitchen	1	20,000	20,000
3	Bathroom and Toilet	1	15,000	15,000
4	Cots and Mattresses	10	2,500	25,000
5	Essential ward equipments	1	50,000	50,000
6	Other ward equipments	1	35,000	35,000
7	Kitchen Equipments	1	30,000	30,000
	Total			2,00,000

- 1) क्रम संख्या- 1, 2, एवं 3 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि वार्ड, किचन, बाथरूम एवं टायलेट की छोटी-मोटी मरम्मत, पार्टीशन, पानी, बिजली आदि की व्यवस्था को सुदृढ़ एवं क्रियाशीलता के लिये दी जा रही है।
- 2) क्रम संख्या- 4 पर दी गयी धनराशि शैय्याओं की आपूर्ति के लिये है आवश्यकतानुसार इनका क्रय किया जाना चाहिये।
- 3) क्रम संख्या- 5 एवं 6 पर दी गयी धनराशि वार्ड में उपयोग किये जाने वाली सामग्री एवं उपकरणों के लिये दी जा रही है, जो नीचे दी जा रही तालिका 1 एवं 2 पर अंकित हैं इनका नियमानुसार क्रय कर के पोषण पुर्नवास केन्द्र की स्टॉक बुक में अंकित कर लें तथा वाउचरर्स पर सत्यापन योजना का नाम तथा स्टॉकबुक के पृष्ठ का अंकन कर आडिट हेतु सुरक्षित रखें। एन.आर.सी. में साफ सफाई के विशेष ध्यान रखा जाना है इसके लिये कलर कोड के ढक्कनदार बड़े डस्ट-बिन वार्ड में अवश्य हों।
- 4) क्रम संख्या- 7 पर दी गयी धनराशि रसोई में उपयोग आने वाले बर्तन एवं अन्य उपकरणों के लिये है जो नीचे तालिका-3 पर दिया गया है, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार क्रय किया जाय।

तालिका- 1 Essential Ward equipment's to be purchased

S.N.	Items	No.
1	Glucometer with strips	1
2	Thermometers (preferably low-reading)	2
3	Digital Paediatric weighing scales for measuring weight of the child (upto 25 kg with graduation of 5 gm) with TARE option to be kept in Ward	1
4	Infantometer for measuring length of the child	1
5	Stadiometer (to measure standing height)	1
6	Resuscitation equipment's	1
7	Suction equipment (low pressure)	1

तालिका- 2 : Other Ward equipment's to be purchased

S. N.	Items	No.	Remarks
1	IV stands	at least for each Bed	To be purchased from the Budget head of other ward equipment
2	Almirah	1	
3	Shoe rack	2	
4	Dustbin	12	
5	Room heaters	6	
6	LCD TV ; DVD player	1	
7	IEC - Audio/visual materials	1	

S. N.	Items	No.	Remarks
8	Toys for structural play (Safe, Homemade toys can be used as well)		
9	Clock (one for kitchen and one for ward)	2	
10	White board and Pin up notice board	1 each	
11	Calculator	1	
12	Reference height and weight charts and other recknor tables (supply by UNICEF)	1	

तालिका- 3 : Kitchen equipment's to be purchased

S.N.	Items	No.	Remarks
1	Cooking Gas burner with cylinder	1	Items will be purchased under the heads of Kitchen equipment
2	Dietary/weighing machine to weigh the food items	1	
3	Measuring jars/ glass (10 ml, 50 ml, 100ml, 250 ml, 500ml & 1000ml) and Measuring Spoons set	1 set	
4	Electric Mixer	1	
5	Electric Blender	1	
6	Water Filter (RO)	1	
7	Refrigerator	1	
8	Utensils (large containers, cooking utensils, feeding cups, saucers, spoons, jugs etc.)	1 set	

6- वित्त पोषण :-

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में स्वीकृत की गयी धनराशि को निम्नानुसार व्यय किया जाय।

1) One time Establishment cost

भारत सरकार द्वारा FMR- A.2.5 पर पोषण पुर्नवास केन्द्र की स्थापना हेतु रू0 2.00 लाख प्रति जनपद के अनुसार की धनराशि स्वीकृत की गयी हैं। पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु रू0 2.00 लाख की धनराशि प्रति जनपद के अनुसार जिसे नीचे दी गयी तालिकानुसार जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को 3 माह के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

2) मानव संसाधन

संविदा पर तैनात कर्मियों हेतु FMR Code A.8.1.5.6 पर चिकित्सा अधिकारी के मानदेय हेतु रू0 39600/- प्रति माह की दर से, FMR Code A.8.1.7.5.4 पर न्यूट्रिस्ट हेतु रू0 16500/- प्रति माह की दर से, FMR Code A.8.1.1.2.f पर स्टाफ नर्स हेतु रू0 18150/- प्रति माह की दर से FMR Code A.8.1.11.f पर केयर टेकर के लिये रू0 6400/- प्रति माह की दर से, रसोईया के लिये रू0 7500/- प्रति माह तथा सफाई कर्मी के लिये रू0 6400/- प्रति माह की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसे नीचे दी गयी तालिकानुसार जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को 3 माह के मानदेय हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

3) आशा/आंगनवाडी प्रतिपूर्ति राशि

भारत सरकार द्वारा FMR Code-B1.1.3.2.5 पर SAM बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर संदर्भित करने तथा फालोअप में लाने पर आशा/आंगनवाडी को प्रतिपूर्ति राशि अनुमोदित की गयी है। जिसके अनुसार पोषण पुनर्वास केन्द्रों पर SAM बच्चों को संदर्भित करने हेतु रू0 100/- प्रति बच्चे के अनुसार आशा/आंगनवाडी को दिया जाना है। तथा समस्त फालोअप हेतु कुल रू0 50/- प्रति बच्चे प्रदान किया जाना है। इस प्रकार कुल रू0 150/- प्रति बच्चे (संदर्भन एवं फालोअप) हेतु प्रतिपूर्ति राशि प्रदान किया जाना है। पोषण पुनर्वास केन्द्रों की इकाईयों हेतु प्रतिमाह अधिकतम 20 बच्चों के अनुसार संलग्न तालिकानुसार जनपदों की जिला स्वास्थ्य समितियों को धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

District wise Funds for 18- New Nutritional Rehabilitation Center (NRC) 2015-16																	Total funds proposed to DHS (Amount in Rs)		
Sl. No.	Name of Districts	One time time Establis hment cost	Medical officer		Nutritionist/ FD		Staff Nurse		Cook		Caretaker		Cleaner						
			No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount			
			No. for 3 mths	Honorarium @ Rs.39,600/- p.m.	No. for 3 mths	Honorarium @ Rs.16,500/- p.m.	No. for 3 mths	Honorarium @ Rs.18150/- p.m.	No. for 3 mths	Honorarium @ Rs.7500/- p.m.	No. for 3 mths	Honorarium @ Rs.6400/- p.m.	No. for 6 mths (Apr 15-Sept 15)	Honorarium @ Rs.6400/- p.m.					
	FMR Code	A.2.5	A.8.1.5.6		A.8.1.7.5.4		A.8.1.1.2.f		A.8.1.11.f		A.8.1.11.f		A.8.1.11.f						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Ambedkarnagar	200000	1	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	647000				
2	Balia	200000	1	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	647000				
3	Basti	200000	1	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	647000				
4	Bulandshahar	200000	1	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	647000				
5	Chandauli	200000	1	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	647000				
6	Fatehpur	200000	1	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	647000				
7	Ferozabad	200000	1	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	647000				
8	G. B. Nagar	200000	1	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	647000				
9	Ghaziabad	200000	1	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	647000				
10	Ghazipur	200000	1	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	647000				
11	Hamirpur	200000	1	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	647000				
12	Hathras	200000	1	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	647000				
13	Jalaun	200000	1	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	647000				
14	Jaunpur	200000	1	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	647000				
15	Kanpur Dehat	200000	1	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	647000				
16	Kushinagar	200000	1	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	647000				
17	Mau	200000	1	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	647000				
18	Saharanpur	200000	1	118800	1	49500	4	217800	1	22500	1	19200	1	19200	647000				
Total		3600000	18	2138400	18	891000	72	3920400	18	405000	18	345600	18	345600	11646000				
Total (Rs. In Lacs)		36.00		21.38		8.91		39.20		4.05		3.46		3.46	116.46				

7- मानव संसाधन एवं दायित्व :-

कार्यक्रम संचालन हेतु पुर्नवास केन्द्र पर निम्न स्टाफ की आवश्यकता होगी ।

■ चिकित्सा अधिकारी	-1	(संविदा पर)
■ न्यूट्रीशनिस्ट काउन्सलर	-1	(संविदा पर)
■ स्टाफ नर्स	-4	(संविदा पर)
■ रसोइया	-1	(संविदा पर)
■ केयर टेकर	-1	(संविदा पर)
■ सफाई कर्मी	-1	(आउट सोर्सिंग के माध्यम से)

8- चिकित्सा अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :-

चिकित्सा अधिकारी द्वारा गम्भीर कुपोषित बच्चों का निदान एवं उपचार करना, दवा के बारे में स्टाफ नर्स, न्यूट्रीशनिस्ट व परिवार के सदस्यों को बताना। जॉच के उपरान्त लक्षणों के अनुसार न्यूट्रीशनिस्ट को आहार की मात्रा तय करने तथा सभी कर्मियों का आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करना। जिला पुरुष चिकित्सालय/विभागाध्यक्ष बालरोग विभाग मेडिकल कालेज/सी0एच0सी0 के नोडल अधिकारी-एन0आर0सी0/अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के साथ समन्वय रखना। भर्ती बच्चों को सायंकालीन राउन्ड कर उनकी समुचित देखभाल करना, स्टाफनर्स को आवश्यक निर्देश देना, दवाइयों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, सैमचार्ट एवं एन0आर0सी0 रजिस्टर का नियमित अवलोकन करना माह के अन्त में प्रारूप पर मासिक रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी/महानिदेशक परिवार कल्याण एवं एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित करना। प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की आयोजित मासिक बैठक में पोषण पुनर्वास केन्द्र पर उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के विषय में जानकारी देना, गम्भीर कुपोषित बच्चों के सन्दर्भन को बढ़ावा देने हेतु संलग्न-1 सामुदायिक स्तरीय संदर्भन कार्यप्रणाली का उपयोग किया जाय।

- भर्ती किये जाने वाले बच्चों के बारे में ब्लॉक स्तर पर आयोजित आशाओं तथा आंगनवाड़ी की बैठक में आशाओं को प्रशिक्षित करना तथा दिये जाने वाले इन्सेन्टिव की जानकारी देना। वाहन की व्यवस्था संयुक्त रूप से अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा डी0सी0पी0एम0 के साथ समन्वय कर भ्रमण की व्यवस्था की जा सकती है। उक्त के साथ एन0आर0सी0 में तैनात संविदा कर्मियों के दायित्व का पर्यवेक्षण करना तथा प्रशिक्षण देना।

9- न्यूट्रीशनिस्ट के कार्य एवं दायित्व :-

प्रत्येक बच्चे के वजन और स्थिति के अनुसार प्रतिदिन आहार तय करना। रसोइया को आहार तैयार करने हेतु किस वस्तु को कितनी मात्रा में कब मिलाना है और कितना मिलाना है के विषय में निर्देशित करना होगा न्यूट्रीशनिस्ट को प्रातः 9:00 बजे से 5:00 बजे तक बच्चों की देखभाल करनी होगी।

- माताओं को पोषण पुर्नवास केन्द्र एवं घर पर पोषण आहार, बच्चे की देखभाल, स्वास्थ्य एवं साफ सफाई करने संबंधित विषयों पर प्रतिदिन परामर्श सत्र आयोजित कर सलाह देना।
- स्टाफ नर्स, रसोइया एवं केयर टेकर के साथ मिलकर सुनिश्चित करना कि वार्ड में भर्ती बच्चों को सभी आहार, सूक्ष्म पोषक तत्व, दवाइयों एवं टीकाकरण की सुविधा प्राप्त हो सके।
- पोषण पुर्नवास केन्द्र के रख रखाव एवं खाना बनाने के लिए आवश्यक समस्त सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- न्यूट्रीशनिस्ट को सूक्ष्म पोषक तत्वों की मानकानुसार जानकारी होना चाहिये।
- चिकित्सक को प्रत्येक बच्चे की स्थिति जैसे वजन में हुई बढ़ोतरी, कमी, लिया गया आहार एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराना।
- हर दिन नियत समय पर (सुबह 10.00 बजे) प्रत्येक बच्चे का वजन लेकर माँ को बतलाना, उसे परामर्श देना एवं सैम चार्ट में अंकित करना। पोषण पुर्नवास केन्द्र से संबंधित समस्त सामग्री का लेखा जोखा स्टाफ नर्स के साथ मिलकर रखना। बच्चे का, सैम चार्ट, एन0आर0सी0 रजिस्टर, डिस्चार्ज टिकिट, फोटो एल्बम का रख-रखाव एवं मासिक भौतिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करना।

- वेब-बेस्ड एन0आर0सी0 एम0आई0एस0 डेटाइन्ट्री एवं रिपोर्टिंग का कार्य भी आपके द्वारा किया जायेगा।
- स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की आयोजित बैठक में भाग लेकर पोषण पुनर्वास केन्द्र पर दी जा रही सेवाओं के बारे में प्रचार-प्रसार करना आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देना तथा कुपोषित बच्चों के सन्दर्भन के लिये प्रेरित करना।
- बच्चों की भर्ती की संख्या, दिन, दिनांक का ग्रामवार एवं आशावार/आंगनवाड़ी के अनुसार ब्यौरा रखा जाये तथा इसे DPO/CDPO को प्रभावी फॉलो-अप के लिए प्रत्येक माह अवगत कराया जाये।
- सप्ताह में 2 बार समय निकाल कर प्रसव पूर्व/प्रसव उपरान्त महिला वार्ड में स्तनपान को बढ़ावा देने के विषय में माताओं को जानकारी देना, उससे होने वाले लाभ एवं कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना। कितने महिलाओं को इसकी जानकारी दी गयी है की तिथिवार पूर्ण जानकारी अपनी डायरी में अंकित करें।

10- स्टाफ नर्स के कार्य एवं दायित्व :-

- केन्द्र में भर्ती गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए आवश्यक चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना। स्टाफ नर्स की डियूटी रोटेशन के अनुसार 8-8 घंटे की होगी।
- चिकित्सक के अनुसार हर बच्चे को दवाइयां देना एवं इंजेक्शन लगाना। चिकित्सक के द्वारा लिखे गए इलाज की हर खुराक की निगरानी करना एवं सैम चार्ट में अंकित करना।
- सुनिश्चित करना कि हर बच्चे को छूटे हुए टीकाकरण का लाभ मिल सके। (हर बच्चे का सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना)
- पोषण पुनर्वास केन्द्र में उपलब्ध दवाओं की उपलब्धता, उपयोग एवं खरीद सम्बन्धी सूची बनाना।
- बच्चे का सैम चार्ट, एन0आर0सी0 रजिस्टर, डिस्चार्ज टिकिट, फोटो एल्बम का रख-रखाव की स्टाफनर्स व न्यूट्रीशनिस्ट दोनों की जिम्मेदारी होगी।
- स्टाफ नर्स को मानकानुसार दवायों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी होना आवश्यक है एवं बच्चों को मानक के अनुसार दवायें देने के बारे में सैम चार्ट में अंकित किया जाये।
- चिकित्सक तथा न्यूट्रीशनिस्ट से परस्पर तालमेल रखकर बच्चे की देखभाल तथा आवश्यकता के अनुसार बच्चे को दवा देना, बच्चे की साफ-सफाई रखना, बिस्तर साफ रखना, वजन लेना, यदि अन्य कोई संक्रमण या बीमारी है तो चिकित्सक से परामर्श कर दवा देना आदि स्टाफ नर्स की जिम्मेदारी है। कितने बच्चे भर्ती किये गये कितने डिस्चार्ज किये गये का रखरखाव भी स्टाफ नर्स की ही जिम्मेदारी है मां को बच्चे की देखभाल के बारे में बताना। चिकित्सक की अनुपस्थिति में बच्चे की देखभाल कर उसका हाल चिकित्सक को बताना जिससे सही इलाज हो सके।
- न्यूट्रीशनिस्ट की डियूटी समाप्त होने के उपरान्त डियूटी पर उपस्थिति स्टाफ नर्स द्वारा बच्चों को चिकित्सक/न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा निर्धारित की गयी डाइट के अनुरूप आहार तैयार कर, बच्चे को दिया जायेगा।
- डियूटी स्टाफ नर्स, रसोईया की डियूटी के पश्चात चिकित्सक/न्यूट्रीशनिस्ट द्वारा निर्धारित की गयी डाइट के अनुरूप आहार रसोईया से समन्वय कर बच्चे को प्रदान करेगी।
- भर्ती बच्चे के माता पिता को संतुलित आहार एवं पौष्टिक आहार के बारे में शिक्षित करना तथा बच्चों में कुपोषण से बचाव के बारे में समझाना।
- समय निकाल कर प्रसव पूर्व/प्रसव उपरान्त महिला वार्ड में स्तनपान को बढ़ावा देने के विषय में माताओं को जानकारी देना, उससे होने वाले लाभ एवं कुपोषण से बचाव के बारे में जानकारी देकर जागरूक करना। कितने महिलाओं को इसकी जानकारी दी गयी है की तिथिवार पूर्ण जानकारी अपनी डायरी में अंकित करें।
- आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को Mid Upper Arm Circumference (MUAC) tapes को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देना तथा कुपोषित बच्चों के सन्दर्भन के लिये प्रेरित करना।

11- रसोइया के कार्य एवं दायित्व :-

- न्यूट्रीशनिस्ट के निर्देशानुसार भोजन बनाना, केयर टेकर से सम्पर्क स्थापित कर समय से भोजन तैयार करना।
- रसोई की साफ सफाई सुनिश्चित करना। खाना पकाने एवं रसोई में भंडारण के लिए उपयोग किये जाने वाले बर्तनों को साफ करना।
- सुनिश्चित करना कि भोजन साफ सफाई से तैयार हो एवं बच्चे के लिए सुरक्षित भी हो। यह भी सुनिश्चित करना कि वार्ड में बच्चे को कोई भी अन्य खाद्य सामग्री न दी जाये।
- बच्चों की मांताओं को पोषक आहार बनाने की विधि प्रदर्शित करें ताकि छुट्टी के उपरान्त मांतायें अपने घर में भी बच्चे को पोषित आहार दे सकें।
- रसोइया अपनी ड्यूटी के पश्चात बच्चों को दिये जाने वाले आहार की व्यवस्था के बारे में ड्यूटी स्टॉफ नर्स को सूचित करेगा।

12- केयर टेकर के कार्य एवं दायित्व :-

- वार्ड, स्नान गृह, रसोई एवं भोजन करने के स्थान की साफ सफाई सुनिश्चित करना। प्रत्येक बच्चे, उसके माता-पिता एवं अभिभावक की व्यक्तिगत साफ-सफाई सुनिश्चित करना।
- रसोइया को सभी बच्चों को आहार/भोजन वितरण करने में मदद करना।
- सुनिश्चित करना कि प्रत्येक मां अपने बच्चे को सभी भोजन खिलाएं एवं इसकी जानकारी आहार तालिका में नियमित रूप से दर्ज हो जाए।
- प्रत्येक बच्चे का मनो-सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उन्हें खेलकूद में व्यस्त करना, उनसे बातचीत करना एवं उनकी माताओं को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- आवश्यकता अनुसार बच्चों को भोजन देने एवं उनके आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु माताओं को जानकारी देना।

13- सफाई कर्मी के कार्य एवं दायित्व :-

- एन0आर0सी0 वार्ड की रसोई, बच्चों के प्ले एरिया एवं शौचालय की नियमित साफ सफाई करेंगे। सफाई कर्मी को सफाई की उपयोगिता के महत्व की जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाय। कूड़े का निस्तारण करने हेतु मानकों के अनुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- सफाई कर्मी को वार्ड के मानकों के अनुसार कूड़ा निस्तारण के बारे में प्रशिक्षित किया जाय प्रशिक्षित कर्मी वार्ड में भर्ती मरीजों के माता पिता को सफाई एवं संक्रमण से बचाव के बारे में जानकारी देना एवं जागरूक करना।

14- पोषण पुर्नवास केन्द्र के कर्मियों के मानदेय राशि एवं शैक्षिक योग्यता :-

- 1) **चिकित्साधिकारी** :- पोषण पुर्नवास केन्द्र पर एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक को संविदा पर तैनात किया जायेगा जिनका मानदेय रू0 39600/- प्रति माह की दर से मानदेय देय होगा।
- 2) **स्टाफ नर्स** :- मेडीकल काउन्सिल में पंजीकृत स्टाफनर्स को संविदा पर तैनात किया जायेगा। प्रति इकाई पर 4 स्टाफ नर्स संविदा पर होगी जिनका मानदेय प्रति स्टाफनर्स हेतु रू0 18150/- प्रतिमाह की दर से देय होगा।
- 3) **न्यूट्रीशनिस्ट** :- इस कार्य हेतु होम साइंस में स्नातक तथा पोषण में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी। कम से कम दो साल के अनुभव वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। इन्हें प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए तथा बाद में परियोजना की आवश्यकतानुसार नियत मानदेय पर रू0 16500/- प्रतिमाह की दर से मानदेय राशि देय होगी।
- 4) **केयर टेकर** :- कम से कम कक्षा 8 पास हो। इस कार्य हेतु महिला/पुरुष जिसे बच्चों की देखभाल तथा पोषण से सम्बन्धित जानकारी है, को रखा जाये। केयर टेकर हेतु रू0 6400/- प्रतिमाह की दर से मानदेय राशि देय होगा।
- 5) **रसोइया** :- कम से कम कक्षा 8 पास हो। वार्ड में खाना बनाने का अनुभव कम से कम एक वर्ष का हो। उचित होगा कि रिटायर्ड रसोइया जो वार्ड में खाना बनाते हो को रखा जाये। इन्हें रू0 7500/- प्रतिमाह की दर से मानदेय राशि देय होगी।

- 6) सफाई कर्मचारी :- सफाई कर्मी की तैनाती आउट सोर्सिंग (सेवा प्रदाता एजेन्सी) के माध्यम से कराये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है) रू0 6400/- प्रतिमाह की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है।

चयन की प्रक्रिया पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार की जाये। संविदा कर्मियों हेतु विज्ञापन प्रादेशिक दैनिक 2 हिन्दी समाचार पत्र एवं 1 अंग्रेजी समाचार में अवश्य दिया जाय। चयन समिति द्वारा संविदा पर चयनित अभ्यर्थियों के तैनाती के आदेश, जनपद में पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना के उपरान्त ही निर्गत किये जायें इसका उल्लेख विज्ञापन प्रकाशित करने में किया जाये।

15- कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

मुख्य चिकित्सा अधिकारी पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु धनराशि प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला पुरुष चिकित्सालय को स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें। मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी पोषण पुनर्वास केन्द्र 31 दिसम्बर 2015 तक कराना सुनिश्चित करें।

जनपदों को पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की जानकारी के लिये एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट-upnrhm.gov.in पर प्रदेश में क्रियाशील पोषण पुनर्वास केन्द्र के वार्ड, किचिन, टायलेट आदि के फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जा रहे हैं। कृपया उन्हें देखने का कष्ट करें। किसी भी प्रकार की जानकारी/कठिनाई के लिये संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय के मो0न0 09412235596 एवं महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के मो0न0 09415026046 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18-4/2015-16/7541-18-11 दिनांक .2015

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि अपने स्तर से भी जनपदों को दिशा निर्देश भेजने तथा एन0आर0सी0 की क्रियाशीलता का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
3. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, तृतीय तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, तृतीय तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति।
7. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
8. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ
9. सम्बन्धित, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष चिकित्सालय, को इस अनुरोध के साथ कि अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
10. सम्बन्धित, मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0आर0एच0एम0। को इस निर्देश के साथ कि वे जिला परियोजना अधिकारी एवं जनपद के उल्लेखित पृष्ठांकित अधिकारियों को एक प्रति उपलब्ध करा दें।
11. न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, बी-3/258, विशाल खन्ड, गोमती नगर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य